11034/25

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP17632508386305X

Kapil Gupta

RAMPUR

Certificate No.	:	IN-UP17632508386305X
Certificate Issued Date	:	29-Aug-2025 04:58 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ RAMPUR/ UP-RMP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0131583184213901X
Purchased by	:	RAMPUR DEVELOPMENT AUTHORITY RAMPUR
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PROPERTY SITUATED AT VILLAGE-BARHPURA SHARQI,(GATA NO.-25) TEHSIL-SADAR,DISTRICT-RAMPUR,
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	VEER SINGH AND SHANTI AND OTHERS
Second Party	:	RAMPUR DEVELOPMENT AUTHORITY RAMPUR
Stamp Duty Paid By	:	RAMPUR DEVELOPMENT AUTHORITY RAMPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	15,120 (FifteenThousand One Hundred And Twenty only)

LOCKED BY

S.R SADAR RAMPUR

Please write or type below this line

वीरसिंह

कंचन

सोनु

कि सोमवती

कि शान्ति

PF 0015415104

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

1

—: बैनामा :—

—:रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय

विलेख:—

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	—	रु0—1,35,00,000.00 (प्रति हे0)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	—	रु0—5,40,00,000.00 (प्रति हे0)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	—	रु0— **2,16,000.00**
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	—	**रु0—(2,16,000.00 + 00.00)**
	—	**रु0— 2,16,000.00**
ई–स्टाम्प शुल्क	—	**रु0—15,120.00**
ई–स्टाम्प संख्या	—	
निबन्धन, प्रतिलिपिकरण व अन्य शुल्क	—	**रु0— 2,220.00**

विक्रय—विलेख

भूमि का प्रकार	—	कृषि
ग्राम / मोहल्ला	—	**बडपुरा शर्की**
परगना व तहसील	—	रामपुर।
जनपद	—	रामपुर।

वीरसिंह

RTI श्रीमती शान्ती

RTI सोमवती

सचिन

सोनू

2

[illegible]

विक्रेता का विवरण :–

1. श्री वीर सिंह पुत्र श्री वरफसिंह

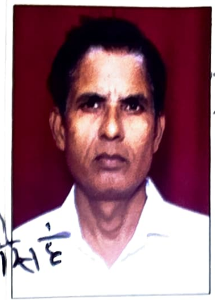

निवासी – **ग्राम बडपुरा शर्की, रामपुर।**
आधार कार्ड संख्या – XXXX XXXX 7643
पैन कार्ड संख्या – IJTPS9061R
मोबाईल संख्या – **9758993628**

वीरसिंह

2. श्रीमती शान्ती पत्नी श्री डल्लू

निवासी – **ग्राम बडपुरा शर्की, रामपुर।**
आधार कार्ड संख्या – XXXX XXXX 1165
पैन कार्ड संख्या – KNWPS6057J
मोबाईल संख्या – **9368370135**

3. श्रीमती सोमवती पत्नी श्री चेतराम

निवासी – **ग्राम बडपुरा शर्की, रामपुर।**
आधार कार्ड संख्या – XXXX XXXX 2371
पैन कार्ड संख्या – MWPPS9498P
मोबाईल संख्या – **9627323764**

4. श्री सचिन पुत्र श्री केवल

निवासी – **ग्राम बडपुरा शर्की, रामपुर।**
आधार कार्ड संख्या – XXXX XXXX 0731
पैन कार्ड संख्या – UBFPS4553C
मोबाईल संख्या – **6396407798**

5. श्री सोनू पुत्र श्री डल्लू

निवासी – **ग्राम बडपुरा शर्की, रामपुर।**
आधार कार्ड संख्या – XXXX XXXX 7607
पैन कार्ड संख्या – LWCPS6707H
मोबाईल संख्या – **9368370135**

सोनू

वीरसिंह   RTI श्रीमती शान्ती   RTI सोमवती   सचिन   सोनू

[illegible] कलेक्टर [illegible] जिला रायपुर [illegible]
सत्यमेव जयते

क्रेता का विवरण :—

रामपुर विकास प्राधिकरण, आवास विकास कालोनी 32/7, रामपुर, 244901 (उ0प्र0).

पैन कार्ड संख्या	:—	AAALR0333H
द्वारा	:—	**श्री जगदीश पाल सिंह**
पदनाम	:—	**अवर अभियन्ता**
विभाग	:—	**रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर।**
जनपद	:—	**रामपुर।**
मोबाईल नं0	:—	**9013067386**
आधार कार्ड संख्या	—	XXXXXXXX 2602

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

क्र0 सं0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षे0 (हे0 में)	कुल क्षे0 में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षे0	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षे0 में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्षे0 (हे0 में)	भू राजस्व
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	श्री वीर सिंह	श्री वरफसिंह	25	0.3400	0.0040	पूर्ण भाग	0.0014	—
2	श्रीमती शान्ती	श्री डल्लू	25	0.3400	0.0040	पूर्ण भाग	0.0004	—
3	श्रीमती सोमवती	श्री चेतराम	25	0.3400	0.0040	पूर्ण भाग	0.0014	—
4	श्री सचिन	श्री केवल	25	0.3400	0.0040	पूर्ण भाग	0.0004	—
5	श्री सोनू	श्री डल्लू	25	0.3400	0.0040	पूर्ण भाग	0.0004	—

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.3400**हे0** में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.0040**हे0** विक्रेतागणों का अंश **पूर्ण** है।

सड़क की स्थिति	—	कोई नहीं।
परिसम्पत्ति	—	रु0—00.00

विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी:—

क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	25	शेष रकबा गाटा सं0 25	चेतराम गाटा सं0 26	गूल सं0 16	शेष रकवा गाटा सं0 25

Rग़ी सोमवती

सचिन

Rग़ी श्रीमती शान्ती

वीरसिंह

सोनू

[illegible]

विक्रय मूल्य का भुगतानः—

कुल विक्रय मूल्य **रू0— 2,16,000.00(दो लाख सोलह हजार रुपये मात्र)** में से विक्रेतागणों को भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :—

क0 सं0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बैंक का नाम	चैक संख्या	चैक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री वीर सिंह	श्री वरफसिंह	नि0 ग्राम बडपुरा शर्की	SBI रामपुर।	073380	29.08.25	**रू0— 75,600.00/- (पिचहत्तर हजार छः सौ रूपये मात्र)**
2	श्रीमती शान्ती	श्री डल्लू	नि0 ग्राम बडपुरा शर्की	SBI रामपुर।	073381	29.08.25	**रू0— 21,600.00/- (इक्कीस हजार छः सौ रूपये मात्र)**
3	श्रीमती सोमवती	श्री चेतराम	नि0 ग्राम बडपुरा शर्की	SBI रामपुर।	073382	29.08.2025	**रू0— 75,600.00/- (पिचहत्तर हजार छः सौ रूपये मात्र)**
4	श्री सचिन	श्री केवल	नि0 ग्राम बडपुरा शर्की	SBI रामपुर।	073383	29.08.2025	**रू0— 21,600.00/- (इक्कीस हजार छः सौ रूपये मात्र)**
5	श्री सोनू	श्री डल्लू	नि0 ग्राम बडपुरा शर्की	SBI रामपुर।	073384	29.08.2025	**रू0— 21,600.00/- (इक्कीस हजार छः सौ रूपये मात्र)**

विक्रीत भूमि सी.एच. 45/बन्दोबस्त में उमराओ पुत्र मन्शी के नाम दर्ज है। उमराओ पुत्र मन्शी द्वारा उक्त भूमि का बैनामा नरायन पुत्र लीलाधर के पक्ष में किया गया, जिसका अंकन खतौनी फसली वर्ष 1378—1382 में है। नरायन पुत्र लीलाधर द्वारा उक्त भूमि का बैनामा सोमवती पत्नी चेतराम, अनोखे पुत्र नरायन व डल्लू पुत्र सुक्खी के पक्ष में किया गया, जिसका अंकन खतौनी फ0 वर्ष 1401—1406 में है। अनोखे पुत्र नरायन द्वारा उक्त भूमि का बैनामा वीर सिंह पुत्र वरफसिंह के पक्ष में किया गया। डल्लू पुत्र सुक्खी की मृत्यु उपरान्त भूमि वरासतन केवल व सोनू पुत्रगण डल्लू व शान्ती देवी पत्नी डल्लू के नाम दर्ज हुयी। केवल की मृत्यु उपरान्त भूमि वरासतन सचिन पुत्र केवल, तारावती पत्नी केवल व शान्ती देवी पत्नी डल्लू के नाम दर्ज हुयी, जिसका अंकन खतौनी फसली वर्ष 1407—1412 में है। राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 25.08.2025 द्वारा तारावती पत्नी केवल का नाम से भूमि वरासतन सचिन पुत्र केवल के नाम दर्ज हुयी। विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है। विक्रीत भूमि ना तो किसी को हस्तांतरित की गयी है और ना ही किसी बैंक या सरकारी कार्यालय अथवा किसी व्यक्ति को बन्धक की गयी है।

सोनू

वीरसिंह

रा0 श्रीमती शान्ती

रा0 सोमवती

सचिन

ावेदन स०: 202500726014789

(सरकारी)

विक्रय पत्र

ही स०: 1 | रजिस्ट्रेशन स०: 11034 | वर्ष: 2025

तिफल- 216000 स्टाम्प शुल्क- 15120 बाजारी मूल्य - 216000 पंजीकरण शुल्क - 2160 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 2220

ी रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा
जगदीश पाल सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
ुत्र श्री अतर सिंह
यवसाय : नौकरी
नेवासी: रामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर

ी. रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा

जगदीश पाल सिंह अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 29/08/2025 एवं
05:35:02 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिमा शर्मा प्रभारी
उप निबंधक :सदर
रामपुर
29/08/2025

निबंधक लिपिक
29/08/2025

विक्रीत भूमि हर प्रकार से रेहन व वय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, दीवानी या राजस्व वाद आदि से मुक्त है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है और ना ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें **गाटा संख्या–25 रकबा–0.3400हे0 में से रकबा 0.0040हे0** विक्रीत की जाती है। अब जरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों व दाखिली खारिजी सहित पूरे होशो हवास स्वस्थ चित से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव नाजायज किसी शख्स के मय सम्पूर्ण अधिकार सहित मुवलिग **रू0–2,16,000.00(दो लाख सोलह हजार रुपये मात्र), जिसके हिस्सानुसार मुवलिग रू0– 75,600.00/- (पिचहत्तर हजार छः सौ रूपये मात्र) श्री वीर सिंह के, हिस्सानुसार मुवलिग रू0– 21,600.00/- (इक्कीस हजार छः सौ रूपये मात्र) श्रीमती शान्ती के, हिस्सानुसार मुवलिग रू0– 75,600.00/- (पिचहत्तर हजार छः सौ रूपये मात्र) श्रीमती सोमवती के, हिस्सानुसार मुवलिग रू0– 21,600.00/- (इक्कीस हजार छः सौ रूपये मात्र) श्री सचिन के, हिस्सानुसार मुवलिग रू0– 21,600.00/- (इक्कीस हजार छः सौ रूपये मात्र) श्री सोनू के,** होते हैं, बदस्त क्रेता रामपुर विकास प्राधिकरण, आवास विकास कालोनी 32/7,रामपुर 244901 (उ0प्र0) के पक्ष में वय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि आर0डी0ए0 को बेच दिया और कुल जर समन हस्ब तफसील जैल क्रेता मजकूर से जरिये चैक वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से बजाये अपने क्रेता मजकूर का कब्जा वाकई बखूफी कर दिया। अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया है व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी ना रहा। विक्रेता विक्रीत भूमि के प्रतिफल के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिकर या लाभ का दावा किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेगा।

RTI श्रीमती शान्ती

वीरसिंह

RTI सोमवती

सोनू

सचिन

आवेदन सं०: 202500726014789

बही स०: 1　　　　रजिस्ट्रेशन स०: 11034　　　　वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री वीर सिंह.　　|VEER SINGH

पुत्र श्री वरफ सिंह

निवासी: ग्राम बडपुरा शर्की तह० सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 061R**

वीरसिंह

विक्रेता: 2

श्रीमती शान्ती.　　|SHANTI

पत्नी श्री डल्लू

निवासी: ग्राम बडपुरा शर्की तह० सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: कृषि

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 057J**

विक्रेता: 3

श्रीमती सोमवती.　　|SOMWATI

पत्नी श्री चेतराम

निवासी: ग्राम बडपुरा शर्की तह० सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: गृहिणी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 498P**

विक्रेता: 4

श्री सचिन.　　|SACHIN

पुत्र श्री केवल

निवासी: ग्राम बडपुरा शर्की तह० सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: कृषि

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 553C**

सचिन

विक्रेता: 5

अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे और अगर विक्रीत आराजी वयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारों से निकल जावे या कब्जा ना मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा व खर्चा विक्रेता उसके वारिसानों तथा दीगर जायदाद चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवें, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बन्धित सारे हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को अंतरित कर दिये हैं, अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजों में अपने नाम दर्ज करा लेवे। विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है, उक्त भूखण्ड का, जिसका आर0डी0ए0 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, और प्रश्नगत भूमि का स्वत्व विक्रेता में निहित है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अतः यह विक्रय विलेख (बैनामा) अपने होशो हवास स्वस्थ चित से बगैर किसी व्यक्ति के अनुचित दबाव से समक्ष साक्षियों के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकतानुसार भविष्य पर काम आवे। इस विक्रय पत्र के निष्पादन से मुझ विक्रेता की आजीविका, निवास स्थान व जीवनचर्या परिवर्तित नहीं हो रही है और न ही आजीविका, निवास स्थान व जीवनचर्या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्रस्तुत विक्रय विलेख विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उसके द्वारा बताये गये तथ्यों व आश्वासन के आधार पर तैयार किया गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेता की है तथा पक्षकारों की पहचान उनके साक्षियों द्वारा की जा रही है।

वीरसिंह

श्री सोमवती

सोनू

श्री शान्तीशान्ती

सचिन

श्री सोनू,
|SONU

पुत्र श्री डल्लू

निवासी: ग्राम बडपुरा शर्की तह० सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: कृषि

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 707H**

क्रेता: 1

सोनू

श्री रामपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जगदीश पाल सिंह,
|RAMPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

पुत्र श्री अतर सिंह

निवासी: रामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 333H**

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नीरज कुमार सुमन , पुत्र श्री राजबहादुर सुमन

निवासी: तहसील सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

श्री नौवत राम, पुत्र श्री भूकन लाल

निवासी: रामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर

व्यवसाय: नौकरी

नौवत राम

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिमा शर्मा प्रभारी

उप निबंधक : सदर

रामपुर

29/08/2025

...

निबंधक लिपिक रामपुर

29/08/2025

विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय की धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय मे वाद दायर करेगा। विकास कार्य करते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अधिक धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है, तो 15 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष की दर से भू–राजस्व की भाँति रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर (आर0डी0ए0) को वसूलने का अधिकार होगा। साथ ही यदि उक्त भूमि पर भविष्य में कोई देयता पायी जाती है, तो उसका समस्त उत्तदायित्व विक्रेता का होगा, जो उक्त देयता को ब्याज सहित देना होगा।

स्थान :– रामपुर।

दिनांक :–

साक्षी नम्बर 1 –

हस्ताक्षर – ....

नाम – श्री नीरज कुमार सुमन

पदनाम – क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम बडपुरा शर्की, तहसील व परगना रामपुर।

पिता का नाम – श्री राजबहादुर सुमन

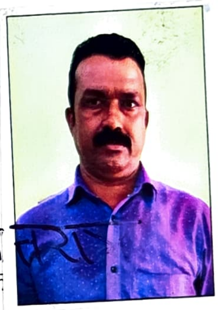

साक्षी नम्बर 2 –

हस्ताक्षर – ....

नाम – श्री नौवत राम

पदनाम – संविदा कर्मचारी, रामपुर विकास प्राधिक

पिता का नाम – श्री भूकन लाल

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

Drafted and typed by
Rampur Development Authority

आवेदन सं॰: 202500726014789

ही सख्या 1 जिल्द सख्या 11549 के पृष्ठ 65 से 78 तक क्रमांक 11034 पर
देनाँक 29/08/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्निमा शर्मा प्रभारी

उप निबंधक : सदर

रामपुर

29/08/2025